

डिक्री व मुकदमें ईत्दादाई  
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया  
वादपत्र अन्तर्गत धारा :- 88/53 आरटीए  
प्रकरण संख्या:- 147/2025

भागोरथ पुत्र श्री रामप्रताप जाति जाट निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

- वादी

बनाम्

1. कालूराम पुत्र श्री चतरुराम जाति जाट निवासी पंडितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. बलराम पुत्र श्री चतरुराम जाति जाट निवासी पंडितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. कुलदीप पुत्र श्री सुल्तानराम जाति जाट निवासी पंडितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. प्रहलाद पुत्र श्री सुल्तानराम जाति जाट निवासी पंडितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. राजेश कुमार पुत्र श्री सुल्तानराम जाति जाट निवासी पंडितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
6. बिरमा पुत्री श्री सुल्तानराम पत्नी श्री महेन्द्र जाति जाट नि.चौहिलावाली तह.व जिला हनुमानगढ़
7. शीलो पुत्री श्री सुल्तानराम पत्नी श्री हनुमान जाति जाट निवासी सोमासर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
8. सरो पुत्री श्री सुल्तानराम पत्नी श्री रामकुमार जाति जाट निवासी सोमासर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
9. गुहरी पत्नी श्री सुल्तानराम जाति जाट निवासी पंडितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
10. सावित्री पुत्री श्री चतरुराम पत्नी श्री श्योचन्द जाति जाट नि.जोरावरपुरा तह. रावतसर जिला हनुमानगढ़
11. गीता पुत्री श्री चतरुराम पत्नी श्री भागाराम जाति जाट नि.हरदासवाली तह.रावतसर जिला हनुमानगढ़
12. गडडी पुत्री श्री चतरुराम पत्नी श्री धनराज जाति जाट नि.हरदासवाली तह.रावतसर जिला हनुमानगढ़।
13. हनुमान पुत्र श्रीमती सरबती (पुत्री चतरुराम) पत्नी श्री रामधन जाति जाट निवासी 29 चक तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
14. चिडिया पुत्री श्रीमती सरबती(पुत्री चतरुराम) पत्नी श्री रामधन जाति जाट निवासी चक भाखरावाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़
15. पवन कुमार पुत्र श्री कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
16. सरोज पत्नी श्री कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
17. रणजीत पुत्र श्री रामप्रताप जाति जाट निवासी पंडितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़(राज.)
18. इन्द्रा पुत्री श्री रामप्रताप पत्नी श्री ओम सिहाग जाति जाट निवासी हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़
19. महावीर पुत्र श्री कालूराम जाति जाट निवासी पंडितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़(राज.)
20. गौंधीराम पुत्र श्री कालूराम जाति जाट निवासी पंडितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़(राज.)
21. मन्जु देवी पुत्री श्री कालूराम जाति जाट निवासी पंडितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़(राज.)
22. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया।
23. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़।
24. तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा।

- प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री कुलदीप मूण्ड वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री गगन मिद्धा वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि तहसील संगरिया के चक 9 एन.के.आर. के खाता सं. 31/24 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में वादी के स्व. दादा चतरुराम पुत्र श्री लिछमनराम एवं वादी की स्व. दादी जेठी पत्नी स्व. श्री चतरुराम के नाम से 2.530 है. कृषि भूमि में से वादी को 1.265 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 1 को 0.506 है. कृषि भूमि का एवं प्रतिवादी सं. 2 को 0.759 है. कृषि भूमि का खातेदार काशतकार घोषित कर वादी के स्व. दादा चतरुराम पुत्र श्री लिछमनराम एवं वादी की स्व. दादी जेठी पत्नी स्व. श्री चतरुराम का नाम कलमजन किये जाने व इसी प्रकार तहसील संगरिया के चक 19 ए.एम.पी. के खाता सं. 38/37 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में वादी के स्व. दादा चतरुराम पुत्र श्री लिछमनराम एवं वादी की दादी स्व. श्रीमती जेठी पत्नी

कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया




श्री चतरुराम के नाम से 2.024 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 को 0.506 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 2 को 0.253 है. कृषि भूमि का एवं प्रतिवादी सं. 15 व 16 को 1.265 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर वादी के स्व. दादा चतरुराम पुत्र श्री लिछमनराम एवं वादी की स्व. दादी जेठी पत्नी स्व. श्री चतरुराम का नाम कलमजन किये जाने एवं इसी प्रकार तहसील हनुमानगढ़ के चक 35 एन.डी.आर. के खाता सं. 8/10 जमाबन्दी सम्वत् 2077-80 में वादी के स्व. पिता रामप्रताप पुत्र श्री चतरुराम एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के नाम से 9.792 है. कृषि भूमि में से वादी को 0.132 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 1, 19 व 20 को 2.783 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के, प्रतिवादी सं. 2 को 1.553 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 3 को 1.771 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 4 को 0.253 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 5 को 1.771 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 15 व 16 को 0.132 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के एवं प्रतिवादी सं. 17 को 1.397 है. कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित कर वादी के स्व. पिता रामप्रताप

पुत्र श्री चतरुराम का नाम कलमजन किये जाने तथा इसी प्रकार तहसील पीलीबंगा के चक 2 पी.डब्ल्यू. के खाता सं. 9/38 जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 में वादी के स्व. पिता एवं प्रतिवादी सं. 3 ता 5 के नाम से 4.807 है. कृषि भूमि के प्रतिवादी सं. 3 ता 5 को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर वादी के स्व. पिता रामप्रताप का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा उक्त निर्णय बाबत किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो राजस्व रिकार्ड में इसका अंकन किया जावे।

नोट:- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिब्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज..........नल..........मुब्लिक..........निल..........बाबत..........निल..........खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक..........अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 21.4.2025 को जारी किया गया।

  
(जय कौशिक)  
महायुक्त कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी संगरिया  
उपखण्ड अजमेर  
संगरिया